निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के जरिए राज्य की पात्र जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चत करना ।	30000000	58.50 लाख हितग्राही परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	57.00 लाख हितग्राही परिवार लाभान्वित	20476500	
2.	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को नि:शुल्क प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	758100	58.50 लाख राशनकार्ड धारी परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	57.00 लाख हितग्राही परिवार लाभान्वित	758100	
3.	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	गरीब एवं जरुरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात 5 रूपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना ।	24687	वर्तमान में संचालित 158 दाल-भात केन्द्रों से प्रतिमाह 5 लाख हितग्राही लाभान्वित है । इस योजना में प्रतिमाह 106 टन चावल, 15 टन चना तथा 7. 70 टन नमक आबंटित किया जा रहा है । उपरोक्त सामग्री की सब्सिडी राशि तथा प्रत्येक नवीन अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों की स्थापना हेतु 50 हजार की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है ।	4.00 लाख व्यक्ति लाभान्वित	23895	
4.	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क प्रदाय किया जा रहा है।	10510	योजनांतर्गत 7958 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराना ।	7306 राशनकार्डधारी प्रतिमाह लाभान्वित	5810	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अंत्योदय अन्न योजना	अति गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।	900000	14.88 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	14.63 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह लाभान्वित	544647	
6.	शक्कर वितरण योजना	समस्त राश कार्डधारियों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो शक्कर उपलब्ध कराना है ।	400000	58.00 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	57.00 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह लाभान्वित	764980	
7.	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह 02 किलोग्राम (प्रति किलो 5 रूपये) की दर से चना का वितरण किया जा रहा है ।	4000000	प्रतिमाह 24 लाख कार्डधारियों को पात्रतानुसार चना उपलब्ध कराना।	24.00 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह लाभान्वित	3202907	
8.	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण योजना	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के एकमुश्त भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा राशन कार्डधारियों को सुगमता से प्रत्येक माह राशन सामाग्री उपलब्ध कराने हेतु 6 टन क्षमता वाले दुकान सह गोदाम का निर्माण ।	64800	नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण कराना ।	-		

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों के ग्रामीण जहॉ वर्षाऋतु के दौरान आवागमन अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	वर्षाकाल के दौरान पहुंचविहीन हो जाने वाली उचित मूल्य दुकानों में वर्षाऋतु के पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 4 माह के आबटन की राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण किया जावेगा ।	समस्त 236 पहुंचविहीन दुकानो में भण्डारण	25000	
10.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	03 वर्षो प्रदेश के 35 लाख पात्र बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया जाना ।	250000	बीपीए परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा	9.35 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया गया	250000	
11.	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबार्ड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	55000	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण पूर्ण कराना ।	70200 टन क्षमता का बकाया ऋण	28117	
12.	मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	खाद्यान्न एवं दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य में अनावश्यक वृद्धि पर नियंत्रण की योजना है ।	270000	आवश्यक वस्तु के मूल्य में अनपेक्षित वृद्धि परिलक्षित होगी, उसके उपार्जन एवं नियंत्रित दर पर वितरण की कार्यवाही की जावेगी	-		
13.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करना ।	19780	उचित मूल्य दुकान को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियाकलापों को कम्प्यूटरीकरण कार्य से सुदृढ़ किया जावेगा।	-	19749	